पत्र संख्या-स्था-5(ख)-पदोन्नति -प्रशासनिक अधिकारी-2018-19// 5761 // वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक 01 मार्च, 2019

-:: आदेश ::-

शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1269/11-2011-30(5) / 2011 दिनांक 26-09-2011 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 मे दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर ज्येष्ठता क्रमांक-1302 पर अवस्थित श्री प्रमोद शंकर पुत्र श्री राम विशाल सिंह, प्रधान सहायक, वाणिज्य कर, अयोध्या को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है।

2- उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुये उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 08-03-2019 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि उक्त कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

4- संबंधित नियन्त्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि यदि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच / ई0 ओ0 डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी / सम्भागीय अधिकारी कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक की दिनांक 09-11-2015 को जारी की गयी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में निर्धारित ज्येष्ठता तदर्थ नियुक्ति की तिथि से अवस्थित है, तो ऐसी दशा में यह आदेश प्रभावी नही होगा तथा उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिक को प्रधान सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण न कराया जाय अपितु इसकी सूचना मुख्यालय के पत्र संख्या-4466 दिनांक 22-12-2018 के क्रम में सम्बन्धित कार्मिक के मौलिक नियुक्ति आदेश एंव तदर्थ नियुक्ति आदेश की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-
(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, अयोध्या जोन अयोध्या।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, सम्भाग-ए/बी अयोध्या।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0),वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, अयोध्या।
6- पटल प्रभारी स्था-4(क), स्था-6 सामान्य / चरित्र पंजिका सेल वाणिज्य कर मुख्यालय।
7- सम्बन्धित कार्मिक को (नाम से)।

01.03.19
(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)
डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।